



राजस्थान-सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं० : 0141-2224878

ई-मेल: rmsgc.mnly@gmail.com

एफ040एमएनजेवाई/पीपीपी विशिष्ट जर्चि/2019-20/

173

दिनांक 04.06.19

संशोधन सूचना

राज्य के 54 जिला/उपजिला/सेटेलाइट चिकित्सालयों में आउटसोर्स मोड पर मरीजों को 40 विशिष्ट जाचों की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु जारी ई टेण्डर निविदा सूचना क्र० 165 दि० 30.05.19 अन्तर्गत आरएफपी के Eligibility Criteria के Point no. 6 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

RFP Point no./ page no.	Existing provision	Amended Provision
Eligibility Criteria Point no. 6 /Page no. 17 and Technical qualification criteria point No. 13/ Page No. 19	The lead bidder or consortium should be certified for either PCCMI level 3 or CMISCV level 3 for health service.	The lead bidder or consortium should be certified for PCCMI level 3 or above and SEI CMMI level 3 or above for services. Submit Proof or certification at the time of bid submission.

आरएफपी की शेष नियम व शर्तें यथावत रहेगीं। निविदा दाता संशोधित सूचना को आरएफपी का हिस्सा मानते हुए ही निविदा प्रपत्र अपलोड करें।

निदेशक-(जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर